डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(भारत के संसद के अधिनियम संख्या-25, सन् 2009 द्वारा संस्थापित)
सागर-470003, म.प्र. (भारत)
दूरभाष : +91-7582-264055, फैक्स : +91-7582-264236

क्र. : भर्ती/गैर/शैक्षणिक पद/2011/ दिनांक :....................

हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अनुवादक व हिन्दी टंकक की पदों की शैक्षणिक अर्हतायें, अनुभव, नियम व शर्तें

निम्नलिखित पदों पर नियोजन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते हैं.

पदों के संबंध में विस्तृत विवरण यथा पदों की संख्या, पे-बैण्ड, आयु सीमा व आरक्षण

क्र.	पद	पे बैण्ड व ग्रेड पे	आयु सीमा	पदों की संख्या	वर्ग
1.	हिन्दी अधिकारी	पीबी-3, 15600-39100, ग्रेड पे-5400	40 वर्ष से अधिक नहीं	01	अनारक्षित
2.	हिन्दी अनुवादक	पीबी-2, 9300-34800, ग्रेड पे-4200	30 वर्ष से अधिक नहीं	01	अनारक्षित
3.	हिन्दी टंकक	पीबी-1, 5200-20200, ग्रेड पे-1900	25 वर्ष से अधिक नहीं	01	अनारक्षित

शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव आदि से संबंधित विस्तृत विवरण

क्र.	पद	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, वांछित योग्यता/अनुभव इत्यादि
1.	हिन्दी अधिकारी	**अनिवार्य :** 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि/समतुल्य कम से कम 55 प्रतिशत अंकों या समतुल्य ग्रेड के साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो. 2. हिन्दी में पारिभाषिक कार्य और/अथवा अंग्रेजी से हिन्दी में और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का 5 वर्ष का अनुभव जिसमें तकनीकी अथवा वैज्ञानिक अथवा हिन्दी के शिक्षण, अनुसंधान, लेखन अथवा पत्रकारिता का 5 वर्ष का अनुभव. **वांछनीय :** संस्कृत अथवा किसी भारतीय भाषा का ज्ञान हो.
2.	हिन्दी अनुवादक	**अनिवार्य :** 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी/हिन्दी में स्नातकोत्तर की उपाधि और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में रही हो या परीक्षा का माध्यम रही हो. 2. हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम किया है. **अथवा** केन्द्रीय/राज्य सरकार या स्वायत संस्थाओं के किसी कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का 2 वर्ष का अनुभव. **वांछनीय :** संस्कृत अथवा किसी भारतीय भाषा का ज्ञान हो.
3.	हिन्दी टंकक	1. किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय/बोर्ड से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण. 2. हिन्दी टंकण में गति सीमा 25 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर पर.

नियम एवं शर्तें :

1. किसी भी विज्ञापित पद को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये वापस लेने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है. विश्वविद्यालय के पास उपरोक्त पदों में से किसी पद को या सभी पदों को भरने या ना भरने का अधिकार भी सुरक्षित है और इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा.

2. केवल न्यूनतम अर्हतायें रखने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा. साक्षात्कार में बुलायें जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को युक्ति युक्त रूप से सीमित करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा.

3. विश्वविद्यालय उपरोक्त पदों पर चयन हेतु प्रतियोगी लिखित परीक्षा/ व्यावसायिक परीक्षा/तकनीकी परीक्षा आयोजित कर सकेगा एवं भरी जाने वाली रिक्तियों की 10:1 के अनुपात में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, मैरिट क्रम में, साक्षात्कार के लिये सीमित कर सकेगा.

4. साक्षात्कार में बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करने के लिये युक्ति युक्त प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी.

5. **कुलपति महोदय के अनुमोदन से स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा असाधारण योग्यता वाले अभ्यर्थियों के संबंध में न्यूनतम अर्हताएं व/अथवा अनुभव में छूट दी जा सकेगी.**

6. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों की आयु, योग्यता आदि में छूट भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार दी जा सकेगी. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय व स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी. आयु सीमा का निर्धारण आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से किया जायेगा.

7. बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को ग्रुप "ग" के पदों के लिये साक्षात्कार में बुलाये जाने पर सेकेण्ड ए.सी. का रेलवे भाड़ा व ग्रुप "सी" के पदों पर साक्षात्कार में बुलाये जाने पर सेकेण्ड क्लास सामान्य श्रेणी का रेलवे भाड़ा उनके द्वारा यात्रा का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर दिया जा सकेगा.

8. भारत सरकार के नियामों के अनुसार आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को विहित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अपेक्षित है.

9. विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से भरे हुये आवेदन पत्र "कुलसचिव, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर-470003 (म.प्र.)" को 31-10-2011 . तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिये.

10. अलग-अलग पद के लिये अलग-अलग आवेदन पत्र शुल्क सहित भेजा जाना चाहिये. एक आवेदन पत्र एक ही श्रेणी के पद के लिये विचारित किया जायेगा.

11. आवेदक विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद का नाम बड़े अक्षरों में लिफाफे के ऊपर अवश्य लिखें.

12. सेवा शर्तें यथा वेतनमान, सेवानिवृत्ति आयु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय नियमों के अनुसार होंगे.

13. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों/लोक उद्यम/स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत अभ्यर्थियों को अपने आवेदन "उचित माध्यम" से भेजना चाहिये. नियोक्ता की संस्तुति के बिना प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा. हालांकि आवेदन की एक अग्रिम प्रति पहले तत्पश्चात् मूल आवेदन उचित माध्यम से भेजा जा सकेगा.

14. अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.

15. किसी भी तरीके का पक्ष-प्रचार करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा.

16. अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा आवश्यक संलग्नकों (डिग्री/सर्टिफिकेट/अंक पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि के साक्ष्यांकित प्रति) के अभाव में प्राप्त आवेदन पत्र या देर से प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किये जाने योग्य होगा.

17. डाक में विलम्ब के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा.

रो.स. 27/52 **कुलसचिव**